कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक 389 /14–9, दिनांक, अम्बेडकरनगर, अगस्त 16 /2017

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, बैतालपुर देवरिया।

विषयः– जनपद अम्बेडकरनगर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फैजाबाद– आजमगढ़ मार्ग (संशोधित मार्ग एन0एच0–232) के किमी0 176 से 177 के मध्य दायीं पटरी पर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गदाया, परगना व तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–184मि0, 186मि0 तथा 187मि0 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.03142 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर–वानिकी प्रयोग एंव बाधक 03 वृक्षों (0 से 30 सेमी0 व्यास) के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन का पत्र संख्या पी–78/14–2–017–800(75)/2017 दिनांक 21–07–2017 एंव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 274/11–सी–एफ.पी./यू.पी./अदर्स/21315/2016 दिनांक 02–08–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फैजाबाद–आजमगढ़ मार्ग (संशोधित मार्ग एन0एच0–232) के किमी0 176 से 177 के मध्य दायीं पटरी पर नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गदाया, परगना व तहसील–अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–184मि0, 186मि0 तथा 187मि0 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.03142 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर–वानिकी प्रयोग एंव बाधक 03 वृक्षों (0 से 30 सेमी0 व्यास) के पातन की कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु संख्या–7 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है–

क0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 है0 में	दर प्रति है0 रू0 में	कुल धनराशि रू0में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	**0.03142**	**626000/**	**19669.00**	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (100 पौध)	**0.16**	**–**	**47260.00**	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

<u>संलग्नकः संदर्भित पत्र की छायाप्रति।</u>

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

<u>पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

(गंगा प्रसाद)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर